प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00613/2026-2027 दिनांक 04/06/2026

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/MIR/04621/2026-2027 पत्रावली संख्या:V-38174 दिनांक:2009-2010

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **कोरल क्लब सोसाइटी, निकट वन विभाग कार्यालय, जोगिया बारी, जिला मीरजापुर, मिर्ज़ापुर, 231001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 12/2009-10 दिनांक-04/04/2009 का दिनांक 04/04/2024 से दिनांक 03/06/2026 तक अनवीनीकृत अवधि का मर्षण करते हुये दिनांक-04/04/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

2850 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(ANOOP MISHRA)
5865CCCB5C4F1F87FE9E00D43BAF352A55AB91BA
Date: 04/06/2026 1:40:47 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-04/06/2026

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे, अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AA 182061

ए जनरल स्टेम्प पेपर कोरल क्लब सोसाइटी

जनपद भोजपुर

दाईल न० N 30174 के सम्मति-पत्र के प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न हैं।

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
22.6.17

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम : कोरल क्लब सोसाइटी
2. संस्था का पता : निकट वन विभाग कार्यालय, जोगिया बारी, मीरजापुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक, व स्नातकोत्तर महाविद्यालय संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय व मदरसे की स्थापना व संचालन करना ।
2. बालिकाओं, युवतियों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिये सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कताई, पेन्टिंग, ब्यूटीपार्लर व टाईपिंग, शार्टहैण्ड व फैशन डिजायनिंग की शिक्षण - प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
3. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना
4. बालक/बालिकाओं के लिये तकनीकी व ग्रामोद्योगिक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन करना ।
5. ज्ञान-विज्ञान भौतिक, शारीरिक, मानसिक नैतिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना ।
6. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायता, शिक्षा सामाग्री तथा छात्रवृत्ति की सुविधायें उपलब्ध कराना ।
7. पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना ।
8. पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना एवं वृक्षारोपड़, नर्सरी कार्यक्रम को बढ़ावा देना और मशीनो द्वारा सभी प्रकार के प्रदूषणों के जॉच करना ।
9. बालक/बालिकाओं के लिये कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की जानकारी प्रदान करना ।
10. प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा व बाल शिक्षा केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित कर अशिक्षित जनता को शिक्षित करना ।
11. समाज मे व्याप्त भयंकर बिमारियों जैसे-एड्स, मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग हैपीटाइटिस बी व संक्रामक बिमारियों से बचाने हेतु प्रचार-प्रसार एवं स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना ।
12. विकलांगों को आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।
13. समाज कल्याण विभाग, तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सिप्सा, कपार्ट, नाबार्ड, सिडबी, सूडा, डूडा, खेल मंत्रालय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।
14. बनवासी, आदिवासियों व जनजातियों के उत्थान हेतु सभी प्रकार के कार्य को करना ।
15. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कलस्टर विकास योजना को संचालित व

Zainab
Q. Ansari
Rukhsar
Imam
Dilshad
Inamul Haque
Ahlawat
Seema Ansari
Ansari

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

लिपिक कर्ता
मिलान कर्ता

प्रचार-प्रसार करना ।

16. असहाय, अनाथ, गरीब महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं **उनकी सेवा करना ।**

17. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण लघु **उद्योग, गृह उद्योग की** स्थापना करना व नि:शुल्क संचालन करना ।

18. लोक कलाकारों एवं शिल्पकारों को लोक- कला एवं शिल्प कला के विकास के लिए हर सम्भव सहायता करना एवं प्रचार प्रसार करना ।

19. ग्रामीण-रोजगार एवं विकास कार्य हेतु कृषि, पशुपालन, बागवानी, रेशम उत्पादन, डेरी, बेंत एवं बॉस टोकरी निर्माण, जरी इम्ब्राइडरी, दरी कालीन, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन, मशरुम खेती, जेस्टोफा पौधे, पुष्प, फल संरक्षण, पिसा मसाला, व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना व पापड, अचार बनाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण देना ।

20. नि:शुल्क चिकित्सालयों, पुनर्वास केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, कुष्ठ आश्रम, वृद्धा सेवा आश्रम की व्यवस्था व स्थापना करना व नेत्र शिविरों का आयोजन करना ।

21. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के पिछड़े वर्ग के बच्चों व नाबालिक तथा लावरिस बच्चों के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कराना ।

22. दैविय आपदाओं जैसे - बाढ़, सुखा, भूस्खलन, महामारी, अग्निकाण्ड, भूकम्प एवं भयंकर बिमारियों के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना ।

23. दहेज, छुआछूत, मद्यपान, दहेजप्रथा, निरक्षरता, बाल विवाह, बधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरण एवं निवारण करना ।

24. संस्था द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमिनार) कवि सम्मेलन व योग प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना ।

25. राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देना जैसे परिवार कल्याण, महिला शिक्षा, वृक्षारोपण, साक्षरता मिशन, विकलांग कल्याण, पोलियों अभियान, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रचार-प्रसार करना ।

26. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीयकृत बैंको, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से सभी प्रकार के आवश्यक सहयोग प्राप्त करना । लघु एवं ग्रामो उद्योगों की स्थापना व प्रचार-प्रसार करना व बीमा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान करना व इसका प्रचार-प्रसार करना ।

27. ग्रामोद्योग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटियों का संग्रह तथा जड़ी बूटियों से बनायी जाने वाली आर्युवेदिक औषधियों का निर्माण एवं वितरण करना ।

29. दानशील व्यक्तियों से सहयोग स्वरुप अनुदान, चन्दा प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना ।

30. अल्पसंख्यकों के बच्चों के शिक्षा हेतु मदरसे की स्थापना करना एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों में भाग लेना ।

Zainab
Q. Ansari
Rahul
Inamul Haque
Ahbeg
Seema Ansari
Ansari

सत्य प्रतिलिपि
कृते सहायक निबन्धक
कर्मचारी सोसाइटीज एवं चिटफण्ड
वाराणसी
22/6/23

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

5. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता, पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0 सं0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती जैनब पत्नी श्री फिरोज अख्तर	सिविल लाइन्स, मीरजापुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती कमर अन्सारी पत्नी आले हसन	बी0 84/50, नोएडा	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	फिरोज अख्तर पुत्र स्व0 मुस्ताक आलम	सिविल लाइन्स, मीरजापुर	प्रबंधक/सचिव	अध्यापन
4.	फैयाज अख्तर पुत्र स्व0 मुस्ताक आलम	सिविल लाइन्स, मीरजापुर	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	मुजम्मिल अहमद पुत्र शब्बीर अहमद	सालडिहा, मीरजापुर	सदस्य	व्यापार
6.	इनामुल हक अंसारी पुत्र स्व0 अब्दुल शत्तार	सेगवेल, सोनभद्र	सदस्य	समाजसेवा
7.	ए0एच0 बेग पुत्र स्व0 मो0 हनीफ	अग्र रोड, मीरजापुर	सदस्य	अध्यापन
8.	श्रीमती सीमा अंसारी पत्नी शादाब अंसारी	नई, बाजार, स.र.न. भदोही	सदस्य	गृहिणी
9.	शादाब अंसारी पुत्र स्व0 असगर अली	नई, बाजार, स.र.न. भदोही	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त स्मृति - पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजि0 अधिनियम की धारा 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना चाहते है ।

10/8/19

Zainab

Q. Ansari

Seema Ansari

Ansari

Inamul Haque

ahbeg

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिटस

22/8/19

ल० पि कर्ता

मिलान कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15AA 637680

ए जनरल स्टैम्प पेपर ----कोरला कलम वेन्डर

जनपद ----वाराणसी

दाईल नं० ---- ५ 38174 के नियमावली के प्रयोजन प्रतिलिपि दें

आज बेचा गया है।

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
22.6.19

नियमावली

1. संस्था का नाम : कोरल क्लब सोसाइटी
2. संस्था का पता : निकट वन विभाग कार्यालय, जोगिया बारी, मीरजापुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी ।

अ- सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 500/- रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रुप में जमा करेगें, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें ।

ब- आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 2100/-रु0 नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देगें, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जा

स- संरक्षक सदस्य : वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को 5100/- रुपये या उससे अधिक की चल अचल सम्पत्ति संस्था को देगें वे संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेगें ।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी ।
 1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर ।
 2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर ।
 3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
 4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर ।
 5. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्व हानिकारक कार्य करने पर ।
 6. किसी सदस्य के निर्धारित शुल्क जमा न करने पर ।
 7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
6. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होगें -

 अ- साधारण सभा ब- प्रबंधकारिणी समिति

7. साधारण सभा

क- गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं0 चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

22/11/24

लिपि कर्ता

मिलान कर्ता

ख- बैठकें : साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

ग- सूचना अवधि : साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रुप से दी जायेगी ।

Zainab R. Ansari द- गणपूर्ति : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

Dilshad य- वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार किसी समय हर वर्ष हुआ करेगी ।

Inamul Haque ahbeg Seema Ansari र- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना ।
2. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।
3. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना ।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना ।

8. प्रबंधकारिणी समिति:-

Ansari अ- गठन : साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक/सचिव, कोषाध्यक्ष व 5 सदस्य होगें ।

ब- बैठकें : प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

स- सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रुप से दी जायेगी ।

द- गणपूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिटफंड
वाराणसी
220484

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

प्रबंधक/सचिव :-

1. संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना ।
2. बैठक करने के लिये दिनांको का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना ।
3. आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना ।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना ।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति करना व वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।
6. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।
7. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना ।
9. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत न होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना ।
10. संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना ।
11. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।
12. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें ।
13. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें ।

Zainab
Q. Ansari
Pramod 31(c)2
Pramod Yadav
Sonia Ansari
Ansari

कोषाध्यक्ष :-

1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना ।
2. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।
3. आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार कर उसे प्रबंधक/सचिव को देना ।
4. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें ।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियम एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा ।

11. संस्था का कोष :-

किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशि को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

Zainab

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-

R. Ansari

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण 'आडिट' कराई जायेगी ।

Chhlai

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्रबंधक/सचिव पर होगा चूंकि संस्था का मुख्यालय जिला मीरजापुर में है इसलिए किसी प्रकार का वाद विवाद होनें पर अदालती कार्यवाही जिला मीरजापुर में होगी ।

Inamul Haque

14. संस्था के अभिलेख :-

संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा ।

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि होंगें ।

Ashbcg

Aseema Ansari

15. संस्था का विघटन :-

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी

Ansari

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक 1.01.19

हस्ताक्षर.....

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज एक विंडो
मीरजापुर
2/1/19

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता